<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232840 CG-DL-E-24012022-232840

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42<sub>]</sub> No. 42<sub>]</sub>

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943 NEW DELHI, MONAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

# अधिसूचना

मुम्बई, 24 जनवरी, 2022

## भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/65.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में, -
  - I. अनुसूची में दी हुई सारणी में, कॉलम 2 में, शब्दों तथा चिह्नों "कुल पदों में से दो-तिहाई पद आंतरिक अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) से और बाकी के एक-तिहाई पद प्रतिनियुक्ति / संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) आधार पर भरे जाएँगे।" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "कुल पदों में से दो-तिहाई पद आंतरिक अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) से और एक-तिहाई पद (जो तीन से अधिक नहीं होंगे) प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) / संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) आधार पर भरे जाएंगे।"आ जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./598/2021-22]

448 GI/2022 (1)

#### पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 तत्पश्चात्
  - (क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा
  - (ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा
  - (ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा
  - (घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा
  - (ङ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा
  - (च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा
  - (छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा
  - (ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा
  - (झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2013-2014/27/6721, द्वारा
  - (ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा
  - (ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसुचना सं. सेबी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन. 2015-16/002, द्वारा
  - (ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा
  - (ड) 15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा
  - (ढ) 27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा
  - (ण) 17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002, द्वारा
  - (त) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा

- (थ) 27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसुचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा
- (द) 31 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/18, द्वारा
- (ध) 13 अगस्त 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29, द्वारा
- (न) 8 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/15, द्वारा
- (प) 5 अगस्त 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/26, द्वारा

संशोधित हुए थे।

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 24th January, 2022

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/65.**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely: -

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001—
  - I. in the Table under the Schedule, in column 2, the words, numbers and symbols, "2/3<sup>rd</sup> of the total posts from internal candidates and the remaining 1/3<sup>rd</sup> to be filled up by deputation/contract." shall be substituted with the words, numbers and symbols, "2/3<sup>rd</sup> of the total posts from internal candidates and 1/3<sup>rd</sup> posts, not more than 3, to be filled up by deputation/contract."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./598/2021-22]

#### Footnotes:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6<sup>th</sup> September, 2001 vide S.O. No. 857(E).
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were subsequently amended on
  - (a) On 23<sup>rd</sup> December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.
  - (b) On 25<sup>th</sup> May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E).
  - (c) On 11<sup>th</sup> April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.
  - (d) On 14<sup>th</sup> January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983.

- (e) On 12<sup>th</sup> October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.
- (f) On 10<sup>th</sup> October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.
- (g) On 2<sup>nd</sup> May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290.
- (h) On 19<sup>th</sup> November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.
- (i) On 8<sup>th</sup> October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721.
- (j) On 26<sup>th</sup> February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366.
- (k) On 21<sup>st</sup> April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002.
- (l) On 30<sup>th</sup> November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.
- (m) On 15<sup>th</sup> December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024.
- (n) On 27<sup>th</sup> April, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001.
- (o) On 17<sup>th</sup> May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002.
- (p) On 13<sup>th</sup> July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010.
- (q) On 27<sup>th</sup> April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09.
- (r) On 31<sup>st</sup> May, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18.
- (s) On 13<sup>th</sup> August, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/29.
- (t) On 8<sup>th</sup> May 2019 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/15.
- (u) On 5<sup>th</sup> August, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/26.